न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) सिरोही
बईजलास पीठासीन अधिकारी श्री नाथूसिंह राठौड़,आर.ए.एस.
न्याय आपके द्वार अभियान 2018 के तहत रा.लो.अ.अटल सेवा केन्द्र बाल्दा

रा.प्रा.पत्र संख्या 192/2017

प्राथीगण
1– दलपतसिंह पुत्र श्री भवानीसिंह जी
जाति राजपूत आयु व्यस्क पेश
बाल्दा तहसील सिरोही जि.सिरोही
2– लाडकुंवर पुत्री श्री भवानीसिंह जी
जाति राजपूत आयु व्यस्क पेश खेती
गृहकार्य निवासी बाल्दा (राजपूरा)

बनाम अप्रार्थीगण
1– भीखसिंह पुत्र रावतसिंहजी
उम्र व्यस्क जाति राजपूत
पेश खेती निवासी बाल्दा
(राजपूरा) तह.व जि. सिरोही
2– राजस्थान राज्य जरिये
तहसीलदार,सिरोही

उपस्थित :–
1– श्री हंसराज पुरोहित,वकील प्रार्थीगण की ओर से
2– श्री भीकसिंह अप्रार्थी संख्या एक स्वंय
3– तहसीलदार,सिरोही अप्रार्थी संख्या 2

रा.प्रा.पत्र अ.धा. 212 राज.काश्त.अधि.1955 के तहत
वास्ते प्राप्त करने अस्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक 28–6–2018

प्रार्थीगण ने जरिये वकील यह राजस्व प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 212 राज.काश्त. अधि.1955 के तहत विरूद्व अप्रार्थी संख्या 1 तक वास्ते प्राप्त करने अस्थाई निषेधाज्ञा का इस न्यायालय मे दिनांक 8–12–2017 को पेश किया जिसका संक्षेप मे तथ्यात्मक विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने अपने उक्त प्रार्थनापत्र के माध्यम से यह निवेदन किया कि ग्राम बाल्दा (राजपूरा) पटवार हल्का बाल्दा तहसील सिरोही जिला सिरोही मे कृषि वेरानामे हुबररावा की कृषि आराजी आई हुई है जिसका राजस्व खाता संख्या 99 जमाबंदी संवत 2070 से 2073 के कुल किता 17 कुल रकबा 8.0100 हैक्टेयर है। जिसकी जमाबबंदी व नक्शा ट्रेस की प्रति संलजग्न है। उक्त वादग्रस्त दर्ज वेरानामे के खसरा नंबरान मय आराजी मे प्रार्थीगण कमांक एक का 1/12 वां एवं प्रार्थीनी कमांक 2 दो 1/36 वां हक हिस्सा पूर्व से दर्ज है तथा अप्रार्थी संख्या एक भीखसिंह का 1/18 वां हक हिस्सा दर्ज है। इसके पूर्व उक्त 1/6 हक हिस्सा प्रश्नगत कआराजी मे स्व. भवानीसिंह,क्षिनसिंह एवं भीखसिंह पिसरान रावतसिंह के नाम पुश्तैनी दर्ज था । स्व. रावतसिंह की मृत्यु के श्चात बतौर उतराधिकारी उनके तीन नैसर्गिक पुत्रों भवानीसिंह ,क्षिनसिंहजी व भीखसिंह (अप्रार्थी संख्या एक) का प्रश्नगत राजस्व अधिकार अभिलेख मे 1/18,–1/18 का प्रत्येक का संयुक्त हक हिस्सा 1/6 दर्ज हुआ । अप्रार्थी ससंख्या एक भीखसिंह व उनके नैसर्गिक भाई क्षिनसिंह व भवानीसिंह का देहान्त हो चुका है। जिनके कायम मुकाम वारिसान कमांक दलपतसिंह एवं लाडकुंवर है। दिनांक 3–6–1991 को स्व. रावतसिंहजी के तीनों पुत्रों कमशः भवानीसिंह,भीखसिंह व क्षिनसिंह के मध्य स्वंय के संयुक्त परिवार की सम्पूर्ण कृषि आराजी का आपसी बंटवाड लिखत कृषि भूमि का पारिवारिक समझौता सम्पन्न हुआ । जिसके तहत प्रार्थीगण के स्व. पिताजी के हक हिस्से मे मौजा हुबरावा की कृषि भूमि का 1/6 वां हक हिस्सा मेसे तत्कालीन खसरा नंबर 24 का 1/2 हक हिस्सा आया तथा अप्रार्थी संख्या एक भीखसिंह के खसरा संख्या 42 का 1/2 भाग (खारसपानवा) का जोड (अन्दरवाडा) क्षिनसिंह के हक हिस्से मे खसरा संख्या 221/1 जोड का भाग पूरा रकबा 19 बीघा 15 विस्वा कृषि आराजी हक हिस्से मे आई । स्व.रावतसिंह के दोनो पुत्रों स्व. भवानीसिंह एवं क्षिनसिंह ने माफिक आपसी बंटवाड लिखत कृषि भूमि के पारिवारिक बंटवाड अनुसार सम्पूर्ण लिखत कर पालना कर संयुक्त आराजी मे अपना अपना हक हिस्सा निनकलवा लिया अर्थात प्रार्थीगण के पिता भवानीसिंह व उनके भाई क्षिनसिंह ने माफिक बंटवाड स्वंय की आराजी अप्रार्थी संख्या एक माफिक बंटवाड लिखत दिनांक 3–6–1991 की अनुपालना न कर प्रार्थनापत्र मे वर्णित वाद ग्रस्त मे

सहायक कलेक्टर
सिरोही (राज.)

1/18 वां हक हिस्सा खातेदारी का दर्ज है,वो स्व. भवानीसिंह के वारिसान प्रार्थीगण के नाम नही करवा रहा है। मौके पर अप्रार्थी संख्या एक के नाम दर्ज 1/18 वे हक हिस्से पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त है तथा इसके पूर्व लिखत दिनांक 3–6–1991 के पश्चात कब्जा काश्त प्रार्थीगण के स्व. पिता भवानीसिंह का रहा था । मौजा बाल्दा के वेरानामे हुबरावा मे एवं कृषि आराजी मे अप्रार्थी संख्या 1 का 1/16 वां हक हिस्सा दर्ज है जो सर्वथा अवैध है। प्रश्नगत आराजी एवं बेरे मे अप्रार्थी संख्या एक का कोई हक हिस्सा हित या कब्जा जून 1991 से नही है। अप्रार्थी संख्या एक भीखसिंह का सर्वथा अविधिक रूप से दर्ज 1/18 वां हक हिस्से की कृषि आराजी को प्रार्थीगण के अतिरिक्त अन्य को अवैध रूप से हस्तान्तरित करना चाह रहा है जो सर्वथा गलत है। साथ ही अप्रार्थी संख्या एक स्वंय प्रार्थी के प्रश्नगत आराजी मे 1/18 वें हक हिस्से बाबत भम्र फला रहा है तथा दो वर्षो से अवैध रूप से बिना कब्जे आराजी के ऋणदायी बैंक को मुगालता देकर आराजी का रहन करवाता है तथा आराजी के रहन बाबत डिफाल्टर बन निलाम करवाना चाह रहा है। जिससे कि उसके विरूद्व प्रश्नगत आराजी के सम्बन्ध मे अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन पेश करने का आधार पैदा हुआ है। प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टयॉ केस है। प्रार्थीगण प्रश्नगत आराजी के 1/18 वे हक हिस्से पर काबिज काश्त है तथा पारिवारिक समझौता एंव माफिक बंटवाडा प्रार्थीगण 1/18 वे हक हिस्से का खातेदार कृषक है तथा इसकी घोषणा करवाने के अधिकारी है। सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के हकमे है। प्रार्थीगण माफिक पारिवारिक समझौता बंटवाड,अप्रार्थी संख्या एक के नाम पर गलत रूप से दर्ज आराजी 1/18 वे भाग का खातेदार कृषक है तथा उसका आराजी पर स्व.भवानीसिंह के जीवनकाल से आज तक कब्जा काश्त है। प्रार्थीगण को विरूद्व अप्रार्थी संख्या एक प्रश्नगत कृषि आराजी के सम्बन्ध मे अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की तो उसे अपरिमित क्षति होगी तथा अप्रार्थी संख्या एक द्वारा उक्त आराजी का विक्रय रहन आदि करने पर बहुविवाद मे उलझना पडेगा । अतः प्रार्थीगण का यह प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 212 आर.टी.एक्ट का बाद सुनवाई पक्षकारान स्वीकार फरमाकर अप्रार्थीसंख्या एक भीखसिंह पुत्र रावतसिंह के विरूद्व उक्त वादग्रस्त आराजी के जमाबंदी मे दर्ज स्वंय के 1/18 वें हक हिस्से का हस्तान्तरण,बेचान या रहन नही करें तथा बाद के विचारण तक मौके एवं रेकर्ड की यथास्थिति बनायें रखें । इस हेतू उसके विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करना फरमावें ।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थनापत्र व संलग्न फोर्म नंबर मे वर्णित जमाबंदी खाता संख्या 99 ग्राम बाल्दा तहसील व जिला सिरोही की जमाबंदी संवत 2070 से 2073,आपसी बंटवाडा लिखत कृषि भूमि का दि 3–6–91 विधिक नोटिस विरूद्व अप्रार्थीगण दिनांक 1–8–2017,नोटिस भेजने की पोस्टल रसीद दि 1–8–2017 ,नोटिस प्राप्ति रसीद 4–'8–'2017 का गहनतापूर्व्रक अध्ययन कर उस पर मनन किया तो न्यायालय प्रार्थनापत्र मे अंकित तथ्यों से प्रथम दृष्टयॉ आश्वस्त होने से दिनांक 8–12–2017 को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 को जवाब पेश करने हेतु नोटिस जारी किये गये । जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 का नोटिस तामिल होकर इस न्यायालय मे विचारण प्रकरण की सुनवाई पेशी दिनांक 15–1–2018 को उक्त नोटिस तामिल होकर इस न्यायालय मे प्राप्त होने से शामिल मिसल किये गये । तथा अप्रार्थी संख्या 2 का नोटिस तामिल/अदम तामिल प्राप्त नही हुआ

आज दिनांक 28–6–2018 को विचारण प्रकरण की पत्रावली राज्य सरकार के आदेशानुसार विचाराधीन राजस्व प्रकरणों को शीघ्र निस्तारण कर पक्षकारान को राहत प्रदान करने की दृष्टि से न्याय आपके द्वार अभियान 2018 के तहत राजस्व लोक अदालत केम्प कोर्ट अटल सेवा केन्द्र बाल्दा मे मेरे समक्ष पेश हुई । पत्रावली देखने पर पाया कि अप्रार्थी संख्या एक द्वारा सीपीसी के प्रावधानों के तहत 90 दिन की समयावधि मे जवाब पेश नही करने व आगे समय दिया जाना उचित नही होने से अप्रार्थी संख्या एक का जवाब बंद करने का आदेश दिया गया । सुनवाई के दौरान

सहायक कलेक्टर
सिरोही (राज०)

वकील प्रार्थीगण तथा अप्रार्थी संख्या 1 भीखसिंह हाजिर हुये । वकील प्रार्थी व अप्रार्थी द्वारा विचारण प्रकरण मे अंतिम बहस करने से अंतिम बहस सुनकर उस पर मनन किया

वकील प्रार्थीगण ने अपनी बहस मे प्रार्थनापत्र मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि मौके पर अप्रार्थी संख्या एक के नाम दर्ज 1/18 वे हक हिस्से पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त है तथा इसके पूर्व लिखत दिनांक 3–6–1991 के पश्चात कब्जा काश्त प्रार्थीगण के स्व. पिता भवानीसिंह का रहा था । मौजा बाल्दा के वेरानामे हुबरावा मे एवं कृषि आराजी मे अप्रार्थी संख्या 1 का 1/16 वां हक हिस्सा दर्ज है जो सर्वथा अवैध है। प्रश्नगत आराजी एवं बेरे मे अप्रार्थी संख्या एक का कोई हक हिस्सा,हित या कब्जा जून 1991 से नही है। अप्रार्थी संख्या एक भीखसिंह का सर्वथा अविधिक रूप से दर्ज 1/18 वां हक हिस्से की कृषि आराजी को प्रार्थीगण के अतिरिक्त अन्य को अवैध रूप से हस्तान्तरित करना चाह रहा है जो सर्वथा गलत है। साथ ही अप्रार्थी संख्या एक स्वंय प्रार्थी के प्रश्नगत आराजी मे 1/18 वें हक हिस्से बाबत भम्र फला रहा है तथा दो वर्षो से अवैध रूप से बिना कब्जे आराजी के ऋणदायी बैंक को मुगालता देकर आराजी का रहन करवाता है तथा आराजी के रहन बाबत डिफाल्टर बन निलाम करवाना चाह रहा है। जिससे कि उसके विरूद्व प्रश्नगत आराजी के सम्बन्ध मे अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन पेश करने का आधार पैदा हुआ है। प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टयॉ केस है। प्रार्थीगण प्रश्नगत आराजी के 1/18 वे हक हिस्से पर काबिज काश्त है तथा पारिवारिक समझौता एंव माफिक बंटवाडा प्रार्थीगण 1/18 वे हक हिस्से का खातेदार कृषक है तथा इसकी घोषणा करवाने के अधिकारी है। सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के ह कमे है। प्रार्थीगण माफिक पारिवारिक समझौता बंटवाड,अप्रार्थी संख्या एक के नाम पर गलत रूप से दर्ज आराजी 1/18 वे भाग का खातेदार कृषक है तथा उसका आराजी पर स्व.भवानीसिंह के जीवनकाल से आज तक कब्जा काश्त है। प्रार्थीगण को विरूद्व अप्रार्थी संख्या एक प्रश्नगत कृषि आराजी के सम्बन्ध मे अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की तो उसे अपरिमित क्षति होगी तथा अप्रार्थी संख्या एक द्वारा उक्त आराजी का विक्रय रहन आदि करने पर बहुविवाद मे उलझना पडेगा । अतः प्रार्थीगण का यह प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 212 आर.टी.एक्ट का बाद सुनवाई पक्षकारान स्वीकार फरमाकर अप्रार्थीसंख्या एक भीखसिंह पुत्र रावतसिंह के विरूद्व उक्त वादग्रस्त आराजी के जमाबंदी मे दर्ज स्वंय के 1/18 वें हक हिस्से का हस्तान्तरण,बेचान या रहन नही करें तथा बाद के विचारण तक मौके एवं रेकर्ड की यथास्थिति बनायें रखें ।

अप्रार्थी संख्या एक भीकसिंह ने अपनी बहस मे कथन किया कि उक्त वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या एक के संयुक्त खातेदारी कब्जे काश्त की पुश्तैनी है। तथा प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या एक सहकृषक व सहखातेदार भी है। हमने विचारण प्रकरण की सम्पूर्ण पत्रावली मय वादग्रस्त कृषि भूमि की उक्त जमाबंदी व आपसी लिखत का गहनतापूर्वक अध्ययन कर उस पर मनन किया । विचारण प्रकरण मे अप्रार्थी संख्या एक का जवाब बंद किया जा चुका है। प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या एक की उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि पुश्तैनी है प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या एक के संयुक्त खातेदारी कब्जे काश्त की है। प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या एक सहकृषक व सहखातेदार है। उक्त वादग्रस्त दर्ज वेरानामे के खसरा नंबरान मय आराजी मे प्रार्थीगण कमांक एक का 1/12 वां एवं प्रार्थीनी कमांक 2 दो 1/36 वां हक हिस्सा पूर्व से दर्ज है तथा अप्रार्थी संख्या एक भीखसिंह का 1/18 वां हक हिस्सा दर्ज है। इसके पूर्व उक्त 1/6 हक हिस्सा प्रश्नगत कआराजी मे स्व. भवानीसिंह,विशनसिंह एवं भीखसिंह पिसरान

सहायक कलेक्टर
सिरोही (राज०)

रावतसिंह के नाम पुश्तैनी दर्ज था । स्व.रावतसिंह की मृत्यु के श्चात बतौर उतराधिकारी उनके तीन नैसर्गिक पुत्रों भवानीसिंह,क्शिनसिंहजी व भीखसिंह (अप्रार्थी संख्या एक) का प्रश्नगत राजस्व अधिकार अभिलेख मे 1/18,–1/18 का प्रत्येक का संयुक्त हक हिस्सा 1/6 दर्ज हुआ । अप्रार्थी ससंख्या एक भीखसिंह व उनके नैसर्गिक भाई क्शिनसिंह व भवानीसिंह का देहान्त हो चुका है। जिनके कायम मुकाम वारिसान क्रमांक दलपतसिंह एवं लाडकुंवर है। तथा अप्रार्थी संख्या एक स्वंय प्रार्थीगण के प्रश्नगत आराजी मे 1/18 वे हक हिस्से बाबत भ्रम फैला रहा है तथा दो वर्षो से अवैध रूप से बिना कब्जे आराजी के ऋणदायी बैंक को मुगालता देकर आराजी का रहन करवाता है तथा आराजी के रहन बाबत डिफाल्टर बन निलाम करवाना चाह रहा है । उक्त सभी के आधार पर प्रार्थीगण का यह प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 212 आर.टी.एक्ट का विरूद्व अप्रार्थी संख्या एक बाबत प्राप्त करने अस्थाई निषेधाज्ञा का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। तथा अप्रार्थी संख्या एक को इस आश्य की अस्थाई निषेधाज्ञा के जरिये पाबंद किया जाता है कि ताफैसला मूल वाद वादग्रस्त कृषि आराजी ग्राम बाल्दा (राजपूरा) पटवार हल्का बाल्दा तहसील सिरोही जिला सिरोही मे कृषि वेरानामे हुबररावा की कृषि आराजी आई हुई है जिसका राजस्व खाता संख्या 99 जमाबंदी संवत 2070 से 2073 के कुल किता 17 कुल रकबा 8.0100 हैक्टेयर है उसमे आपसी बंटवाड लिखत कृषि भूमि का पारिवारिक समझौता दिनांक 3–6–91 के अनुसार प्रार्थीगण के हक हिस्से व कब्जे काश्त मे किसी प्रकार की दखलंदाजी,बाधा नही करें और न ही अपने एजेण्ट,नौकरों से करावें । उपरोक्त निर्णय आज दिनांक 28–6–2018 को रा.लो.अ. केम्प कोर्ट अटल सेवा केन्द्र बाल्दा मे मजमे आम मे सुनाया । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

28/6/18

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)
सिरोही (राज.)

उपरोक्त निर्णय आज दिनांक 28–6–2018 को मेरे हस्ताक्षर,पदनाम व न्यायालय की गोल मुहर से जारी किया गया ।

28/6/18

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)
सिरोही (राज.)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी सिरोही (राज.)